IV 30/11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 176751



।। श्री गणेशाय नमः ।।

न्यास विलेख

न्यास का नाम – जे०पी ० एजूकेशनल ट्रस्ट

न्यास का पता – नदरई गेट कासगंज

न्यास में जगाया गया धन – न्याय में मुख्य न्यासी **श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल** पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग ट्रस्ट का निर्माण कर रहे है, तथा मुख्य न्यासी द्वारा **5100/–** रुपये की धनराशि न्यास को समर्पित की गई है।

8

22/10/11 एस.डी.एम. महोदय के समक्ष

[illegible]

रामजीलाल माहेश्वरी स्टाम्प विक्रेता
क0 कासगंज जि0 कांशीराम नगर
ला0 नं0 13 फिल्ड सीमा 15(4)(a)

स्टैम्प पेपर - Rs. 5/00/-

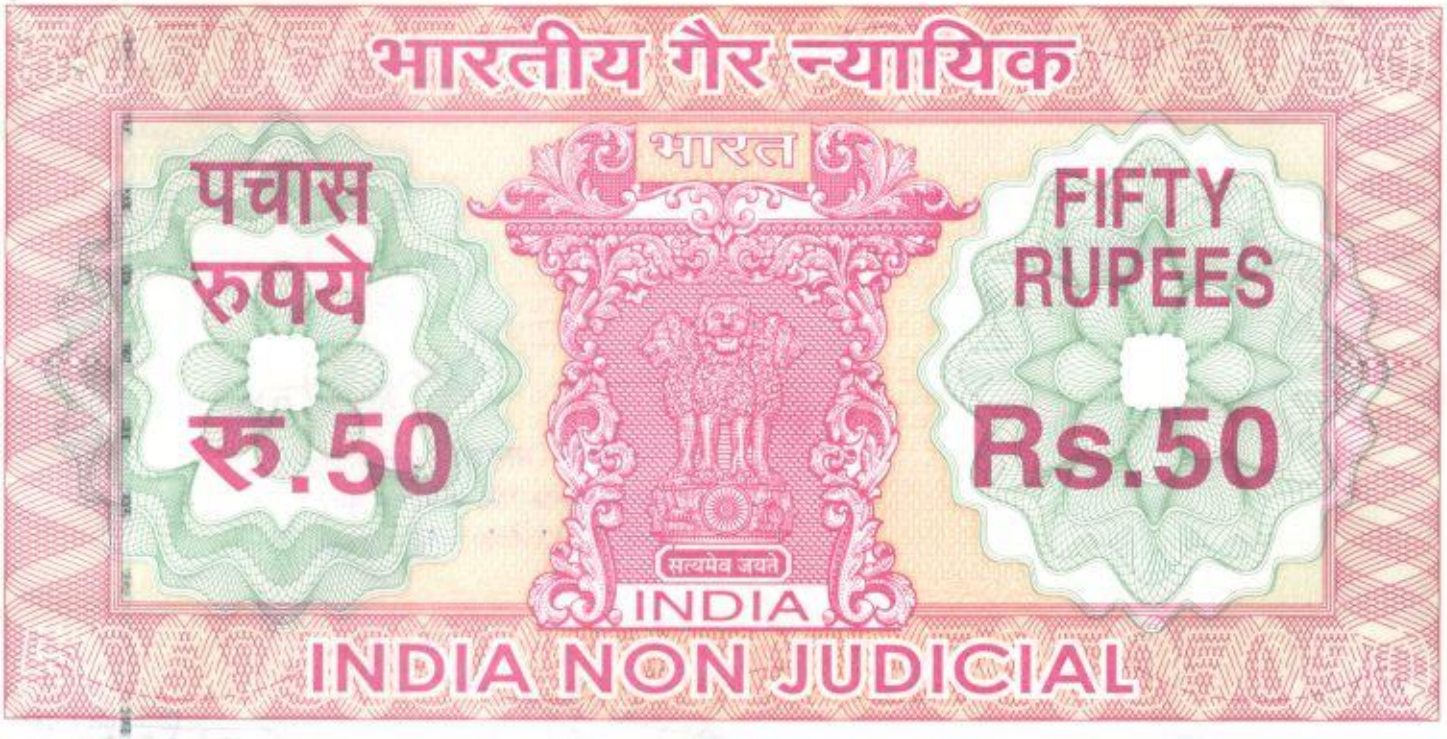
निबन्धन शुल्क	तुलना शुल्क	योग	शब्द लगभग
100/-	20/-	180/-	60/-

श्री नरेशचन्द अग्रवाल s/o जगदीश प्रसाद गर्ग
निवासी गेट नं0 कासगंज
तहसील व जनपद कासगंज जिला कांशीराम नगर ने यह शपथ-पत्र
कार्यालय उप जिलाधिकारी कासगंज जि0 कांशीराम नगर में
आज दिनांक 31-10-11 समय 12 बजे
दिन में प्रस्तुत किया।

उपजिलाधिकारी कासगंज
31-10-11

नरेशचन्द अग्रवाल व
निर्मल कुमार अग्रवाल s/o
श्री नरेशचन्द अग्रवाल व श्रीमती
अंजली अग्रवाल w/o नरेशचन्द अग्रवाल
स्टाफ नं 46 व शपथकर्ता प्रलेख निष्पादन
पहचान -
अनिल कुमार Advocate नं0 कुम्भाउन्ड
कासगंज व चिरंजी लाल s/o पन्नालाल
नि0 नदरई पो0 पिलखाना कासगंज

31/10/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 176752

विधिक प्रलेख

भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आबद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति का स्वामी घोषित अथवा स्वीकार किया जाता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये ही स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व –

मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है – न्यास एक प्रकार का आभार है, आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध है, न्यास का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक न्यास के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। न्यास का रचयिता रु० 5100/– प्रदान करके आभार आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यासी हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

९

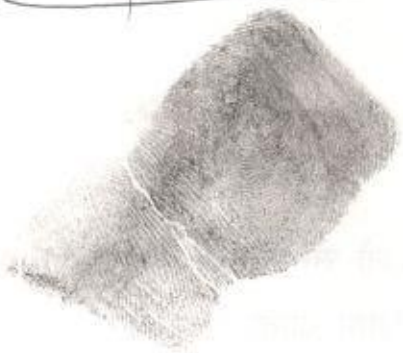
२२/०११ सं.पु.रा.१६=१०८

रामजीलाल माहेश्वरी स्टाम्प विक्रेता
त0 कासगंज जि0 कांशीराम नगर
लाo नं0 13 बिक्री सीमा 15000

Anjali Agarwal

Nimish Gupta

Anjali Agarwal







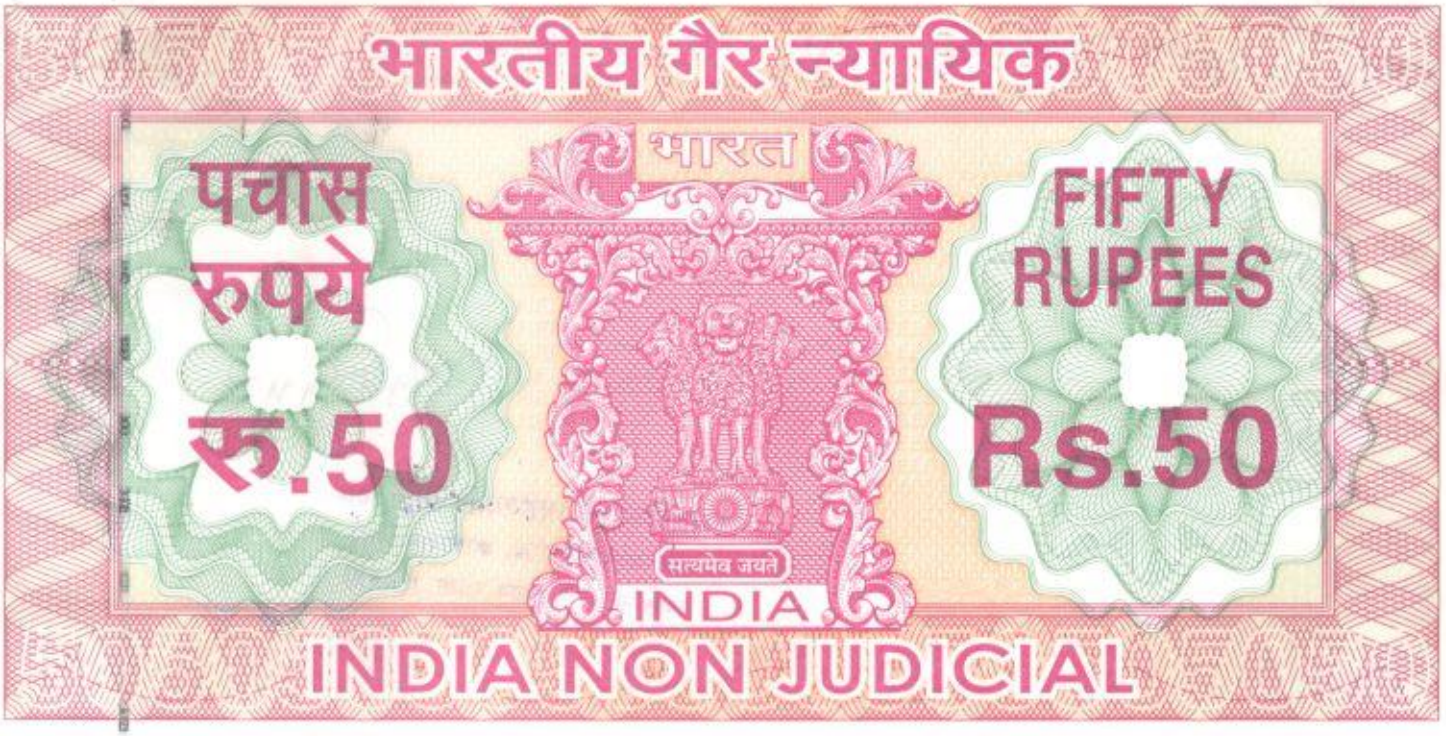
Amit

Nimish Gupta





31.10.2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176753

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर न्यास के निम्न न्यासी होंगे –

क्र0सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	नरेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग	नदरई गेट कासगंज	अध्यक्ष	व्यवसाय
2.	निर्मल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	नदरई गेट कासगंज	सचिव	व्यवसाय
3.	अंजली अग्रवाल पुत्री श्री रोहताश गोयल	नदरई गेट कासगंज	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय

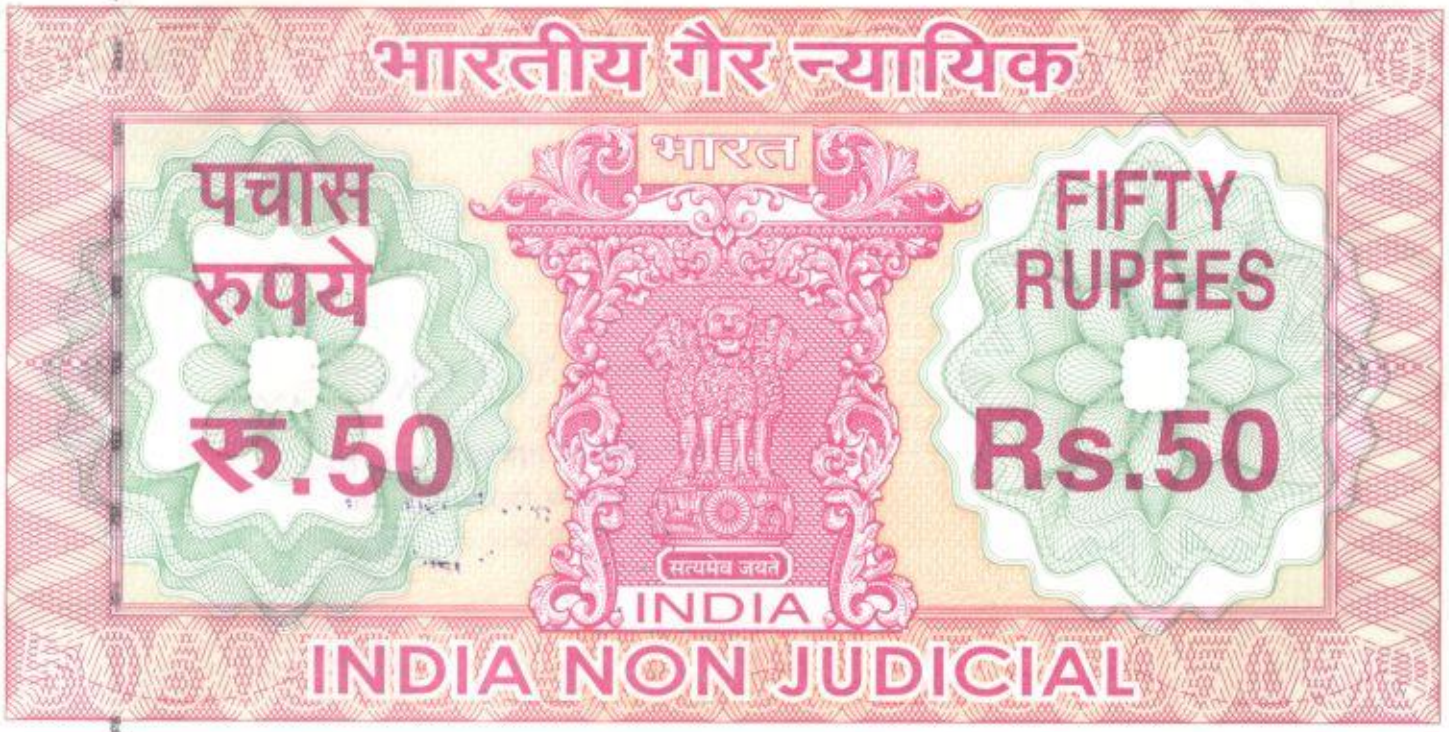
न्यास के मुख्य उद्देश्य :–

यह न्यास जे०पी ०एजूकेशनल ट्रस्ट निम्नलिखित सम्पादित करेगा।

1. ट्रस्ट प्राइमरी से लेकर **जूनियर हाईस्कूल, एवं इण्टर मीडियेट, डिग्री कालेज व उच्च शिक्षा के शिक्षालय** स्थापित करना उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में

Nirmal Kumar Agrawal

Anjali Agrawal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176754

उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

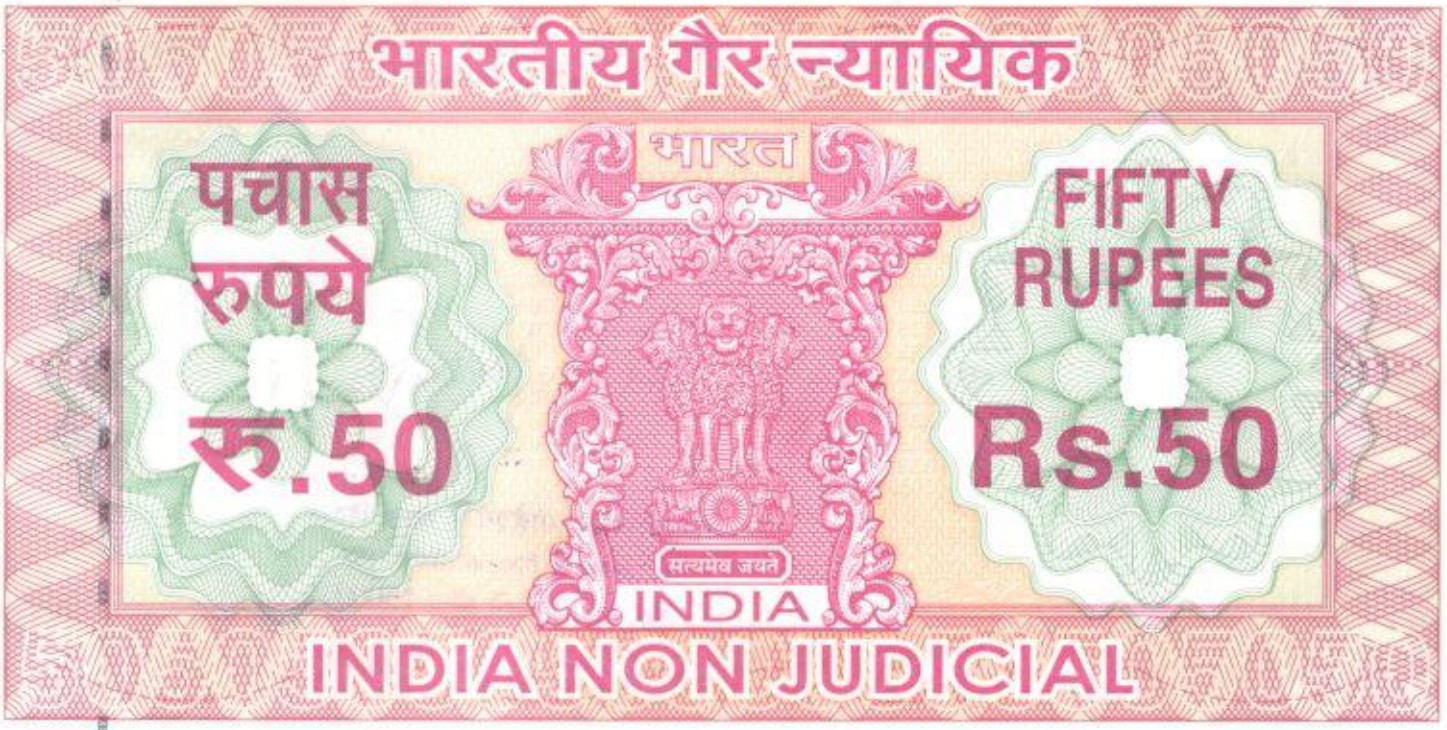
2. संस्था विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे – **सी.बी.एस.ई., आई सी एस ई, एन.ओ.एस., इग्नू, यू.जी.सी.** आदि से सम्बद्धता प्राप्त करेगी आवश्यकता पड़ने पर उनका एफीलिऐशन प्राप्त कर उनकी विविध योजनाओंका संचालन व प्रचार प्रसार करेगी।

3. पर्यावरण की रक्षा के लिये नये–नये प्रकार के पेड़ पौधो को तैयार करना एवं उन पर शोध कर ऐसे उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार करना जो पर्यावरण विकास में सहायक हों एवं आसानी से हर जगह तैयार हो सकें, जागरूक करने के लिये समय–समय पर सेमिनार गोष्ठियाँ, जनजागृति शिविरों का आयोजन कर पर्यावरण के विकास में हर सम्भव योगदान करना।

4. **प्राकृतिक योग चिकित्सा** केन्द्रों की स्थापना करना प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से गंभीर रोगों का **निःशुल्क उपचार व निदान** करने के प्रयास करना।

5. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे **अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांग व निराश्रित**, लाचार **वृद्धजनों** के कल्याण के लिये कार्य करना, **बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम** की स्थापना करना।

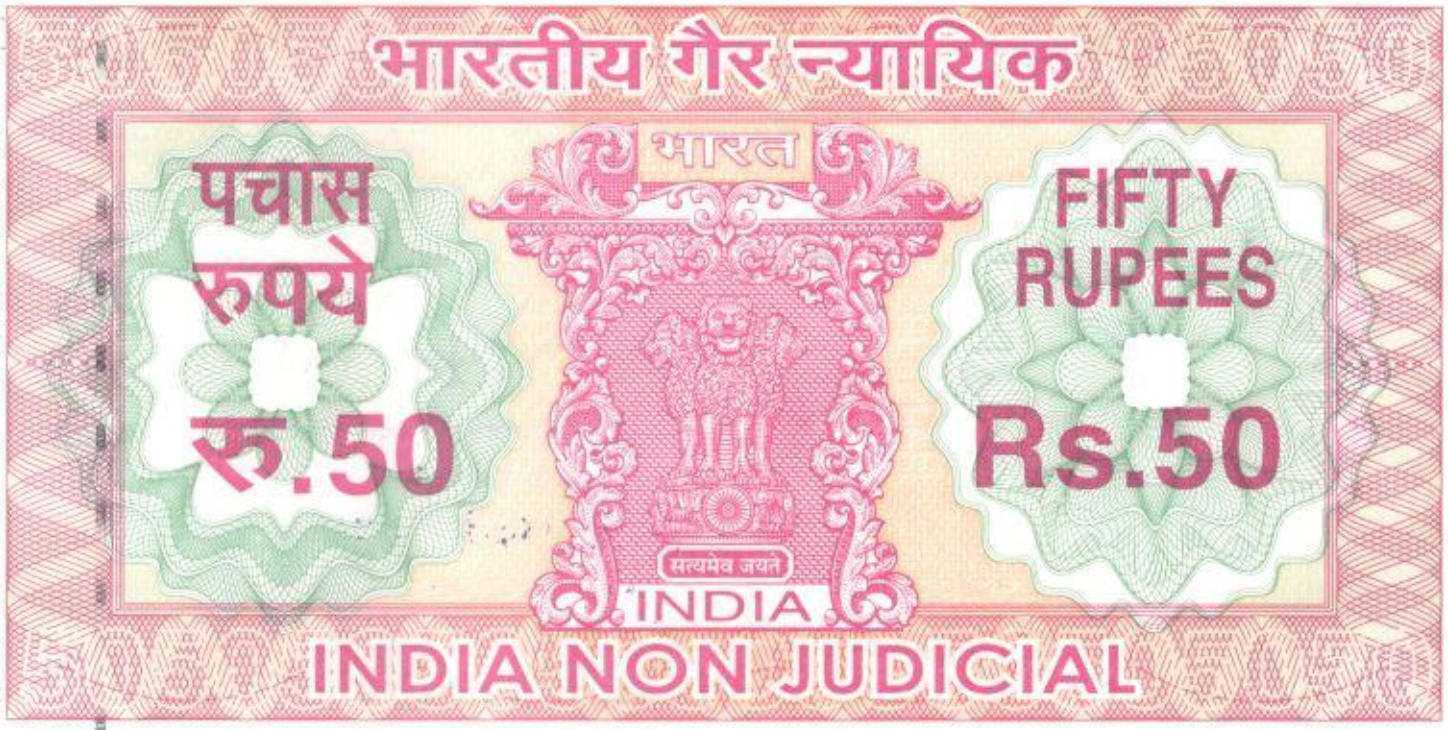
6. **ब्लड बैंक** की परियोजना में सहयोग देना, **एम्बुलेंस** की सुविधा उपलब्ध कराना व आपातकालीन परिस्थितियों में निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।



28 JUL 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176755

7. ट्रस्ट निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को **निःशुल्क आर्युवेद चिकित्सा** सुविधा हेतु एक इमरजेंसी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करायेगी।
8. **निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों** के लिये आश्रम स्थलों के निर्माण के लिये भूमि देना एवं उसकी देखरेख व व्यवस्था करना।
9. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं यथासंभव हर जनपद में इसकी शाखायें खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिये संस्थान का निर्माण करना।
10. जनकल्याण के कार्य जैसे **आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि** के समय जन-जन तक सरकारी सहायता पहुंचाना।
11. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगत संस्थाओं एवं निकायों बैंकों से दान, अनुदान, आर्थिक ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायतायें प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।



20 JUL 2011

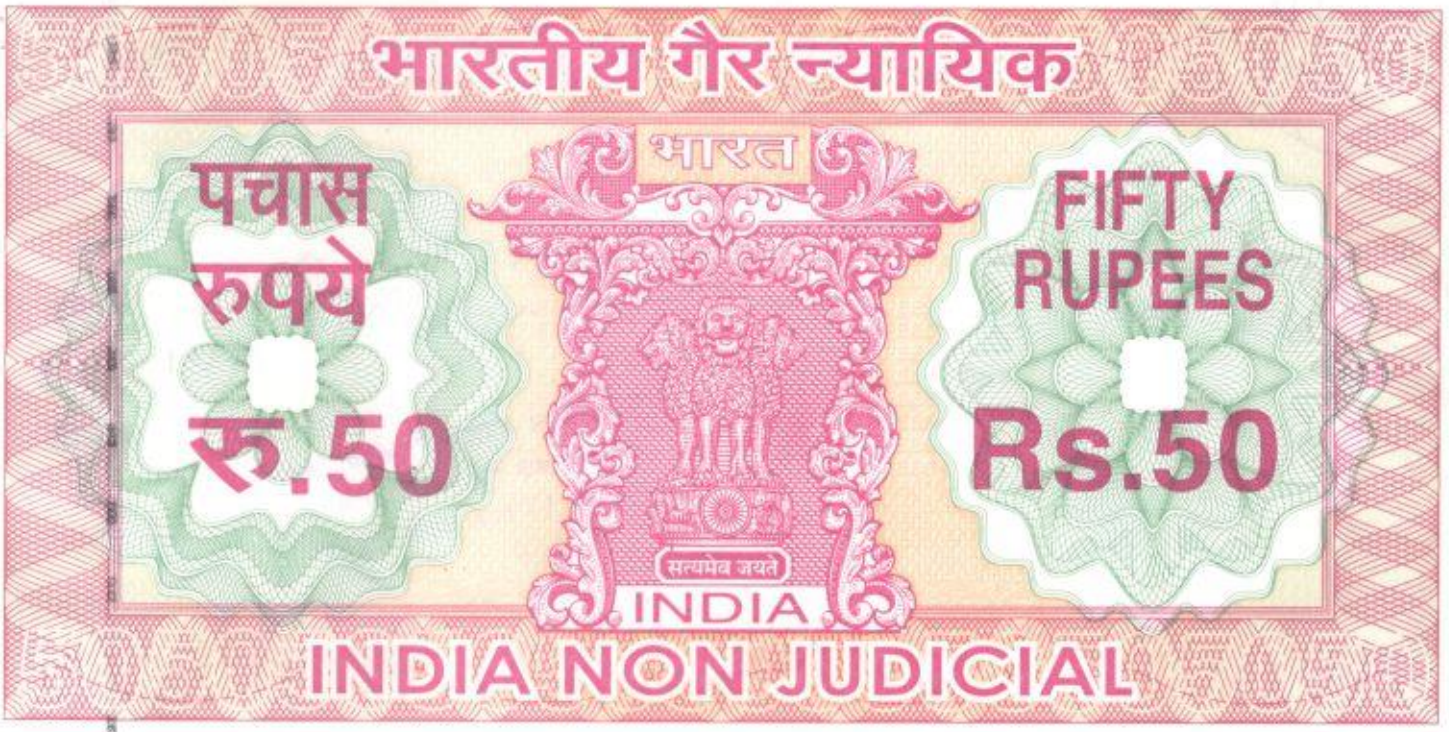
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176756

12. समिति, एच.आर.डी., यू.जी.सी. ग्राण्ट कमीशन, वर्ल्ड बैंक, डब्लू.एच.ओ., रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफ्सा, कपार्ट, नॉवार्ड, **शिक्षा विभाग आदि** संस्थाओं, विभागों से सहायता प्राप्त करेगी।
13. **'न्यास आयकर अधिनियम'** की **धारा 80–जी व 12–ए, और एफ.सी.आर.ए. 35 ए.सी.** के लिये भी आवेदन करेगा।
14. **महिला/कन्या छात्रावास, महिला/कन्या विद्यालय, महाविद्यालय** का संचालन।
15. संस्था भिन्न–भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिये उप–समितियाँ गठित करेगी जो ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होंगी।
16. ट्रस्ट के सभी उद्देश्य **अलाभकारी** होंगे, अतः ट्रस्ट **नो प्रोफिट नो लॉस** की नीति पर आधारित होगी।

न्यास में जन सामान्य द्वारा दिया गया धन व दान की राशि न्यास के द्वारा खोले गये न्यास के चालू खाते में जो किसी सरकारी बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। जो जनहित तथा न्यास द्वारा संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से ही निकाली जायेगी। न्यास के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष न्यासी ही न्यास के संचालक होंगे तथा पूर्ण मान मर्यादाओं को बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक कार्य करेंगे जैसे – **विद्यालय, महाविद्यालय** का निर्माण करवाना, दोनों संचालक को ही होगा। न्यास

Nirmal Singh.

Anjali Agarwal



20 JUL 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176757

के दोनों न्यासी एकमत होकर किसी भी योग्य व्यक्ति को न्यास में मनोनीत कर सकते हैं अथवा नोटिस देकर अधिकार से वंचित कर सकते हैं। न्यास ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो जन सामान्य विरोधी एवं न्यास के नियमों के विरूद्ध हो।

न्यासियों की नियुक्ति –

न्यास के न्यासियों की नियुक्ति आपसी सहमति से ही करेंगे। जो व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल व्यवसनों का आदी होगा वह न्यास का सदस्य नहीं हो सकेगा। न्यासियों में कोई भी न्यासी **का अवसान, मृत्यु या कोई नैतिक दोष, अश्रदा** एवं न्यासी की हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से स्थान रिक्त होने पर न्यास के न्यासी को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

न्यास मण्डल के प्रमुख –

न्यास के वर्तमान न्यासी **निर्मल कुमार अग्रवाल** एवं **अंजली अग्रवाल** . होंगे। वे इस पद पर जीवनपर्यन्त बने रहेंगे आगामी न्यासी की नियुक्ति भी वर्तमान न्यासी ही करेंगे इसके बाद प्रत्येक कार्यरत न्यासी की नियुक्ति न्यास के न्यासी द्वारा की जायेगी। वर्तमान न्यासी अपनी स्वेच्छा से किसी को भी आगामी न्यासी नियुक्त कर सकते हैं अथवा अपनी वसीयत द्वारा आगामी न्यासी की नियुक्ति कर सकेंगे।

स्थाई व्यवस्थायें –

1. संचालन समिति के संस्थापक आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे।

Nirmal Agrawal Anjali Agarwal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 176758

2. आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति के बाद अथवा ट्रस्ट के भंग हो जाने पर ट्रस्ट सम्पत्ति को बहुमत के आधार पर विक्रय किया जा सकेगा।

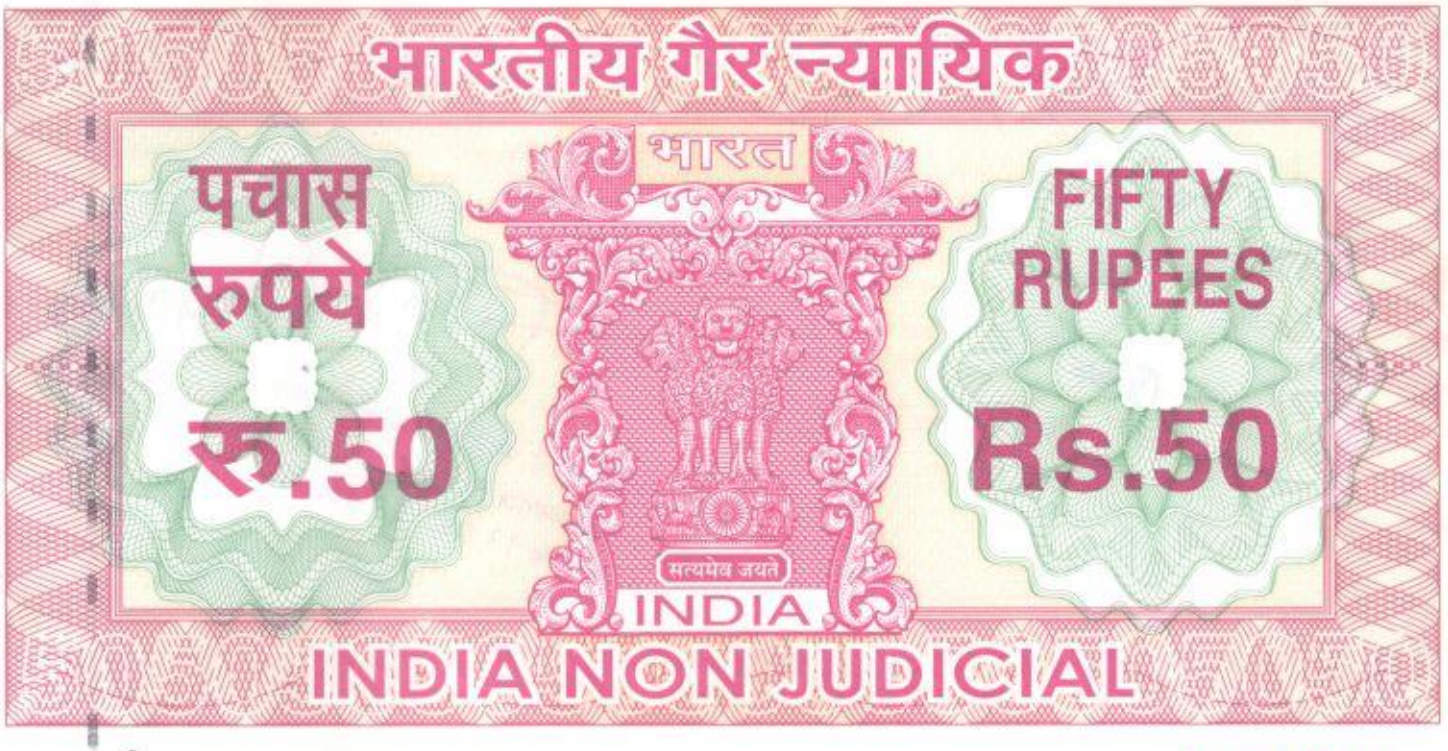
3. न्यास के पंजीकृत कार्यालय की सम्पत्ति के संस्थापक न्यासी अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक स्वयं प्रयोग हेतु रखने के अधिकारी होंगे।

4. संस्थापक न्यासी को अपने जीवनकाल में किसी भी न्यासी को हटाने/बदलने का अधिकार होगा एवं उनके निधन के पश्चात् स्वतः ही यह अधिकार अनिवार्य रूप से उत्तराधिकारी को मिल जायेगा।

अन्य संचालन व्यवस्थायें, प्रावधान नियम, उपनियम –

1. संचालन समिति का कार्यकाल कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। सत्र समापन से एक माह पूर्व की बैठक में संस्थापक न्यासी व अन्य न्यासी विचार कर आगामी सत्र के लिये पदाधिकारियों के मनोनयन पर विचार कर मनोनयन की घोषणा करेंगे।

2. संस्थापक न्यासी सहित कुल न्यासियों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी। न्यासी के स्वेच्छा से त्याग पत्र देने, निधन या संस्थापक न्यासी द्वारा बदलने की स्थिति में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, निष्ठावान, चरित्रवान, लोकप्रिय व न्यास के उद्देश्यों के लिये समर्पित व्यक्तियों में से ही न्यासी का मनोनयन द्वारा संचालन समिति की बैठक में विचार करके किया जायेगा।



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219164

3. संचालन समिति बहुमत से न्यास की विभिन्न परियोजनाओं के प्रबन्धनार्थ उप समितियों का गठन करेगी उपसमितियों के सदस्यों की संख्या प्रस्तावित परियोजना के अनुसार संचालन समिति स्थिर करेगी प्रत्येक उपसमिति का एक संयोजक होगा। संयोजक व उपसमितियों के सदस्यों के कर्तव्य व अधिकारों का निर्धारण संचालन समिति इस अनुबंध में प्राप्त स्वयं के कर्तव्य व अधिकारों के अन्तर्गत करेगी।

4. इन उपसमितियों का संचालन ट्रस्ट के आधीन होगा। जरूरत समझने पर न्यासी के अतिरिक्त समाज के अन्य ख्याति प्राप्त समाजसेवी व अनुभवी निष्ठावान व्यक्तियों के उपसमितियों के संयोजक या सदस्य के रूप में चयन करने का अधिकार न्यासी को होगा। संयोजक वैतनिक भी हो सकता है।

5. न्यास की परियोजनाओं को उत्तरदायित्व व समर्पण के साथ पूर्ण करने व न्यास के विकास के उद्देश्यों से संस्थापक न्यासी व अन्य न्यासी मिलकर, संचालन समिति की बैठक में किसी भी पदाधिकारी या न्यासी सदस्य को आर्थिक सहयोग के रूप में निश्चित मानधन देने का निर्णय बहुमत के आधार पर ले सकेंगे। किन्तु स्वीकृति का अन्तिम अधिकार न्यासी को ही होगा।

6. वर्ष में न्यास संचालन समिति की योजनानुसार तीन बैठकें होंगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। जिसका अनुमोदन/सम्पुष्टि आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

Nimal Singh

Anjali Agrawal



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219165

7. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् प्रति वर्ष न्यास की एक वार्षिक बैठक जून मास में अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें पिछले वर्ष का आंकेक्षित आय व व्यय विवरण स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और आगामी वर्ष का योजना बजट स्वीकृत होगा।

8. महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संचालन समिति की आकस्मिक बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

9. न्यास के नाम कोई भी स्थायी सम्पत्ति नहीं है न्यास के नाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कासगंज में खातासंचालन करनेहेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित कर दियागयाहै ।

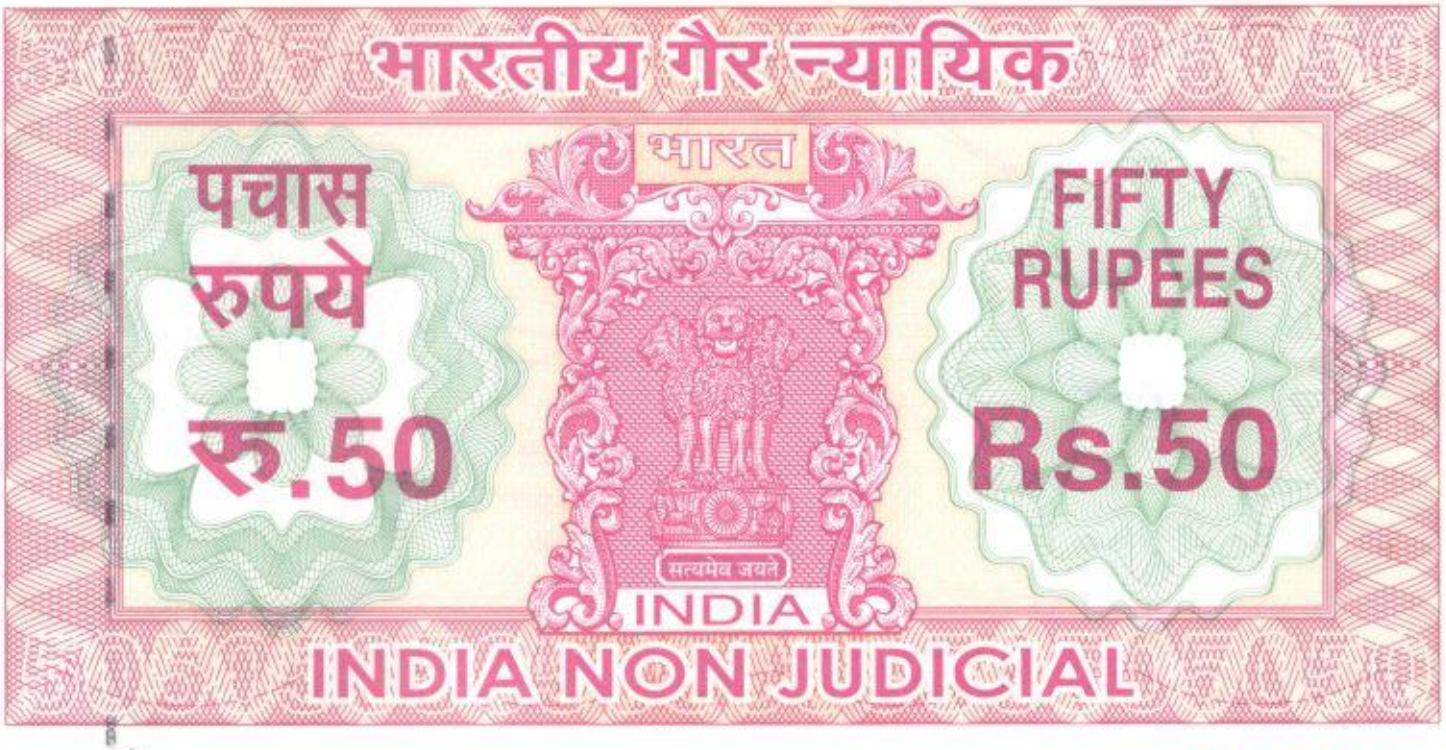
बैठकों का कोरम–

1. आकस्मिक बैठक में कोरम का बंधन नहीं होगा। उपस्थित न्यासी/पदाधिकारी निर्णय ले सकेंगे, किन्तु आगामी पूर्ण नियमित बैठक में कार्यवाही व निर्णयों की पुष्टि आवश्यक होगी।

आय–व्यय लेखा पुस्तकें व लेखा परीक्षण –

1. संचालन समिति न्यास की आय व व्यय का विधिवत हिसाब रखेगी व लेखा पुस्तकें तैयार करेगी।

Anjali Agarwal



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219166

2. लेखा पुस्तकों का विधिवत अंकेक्षक द्वारा परीक्षण किया जायेगा। अंकेक्षक के नाम व फीस का निश्चय संचालन समिति अपनी बैठक में करेगी।

3. हिसाब–किताब व वित्तीय वर्ष 1 **अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च** तक होगा।

4. **न्यास का विधिवत खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी बैंक में खोला जायेगा। खाता सचिव/मंत्री व कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जायेगा तथा धन का आहरण भी मंत्री व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।**

संचालन समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष –

अ) न्यास संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

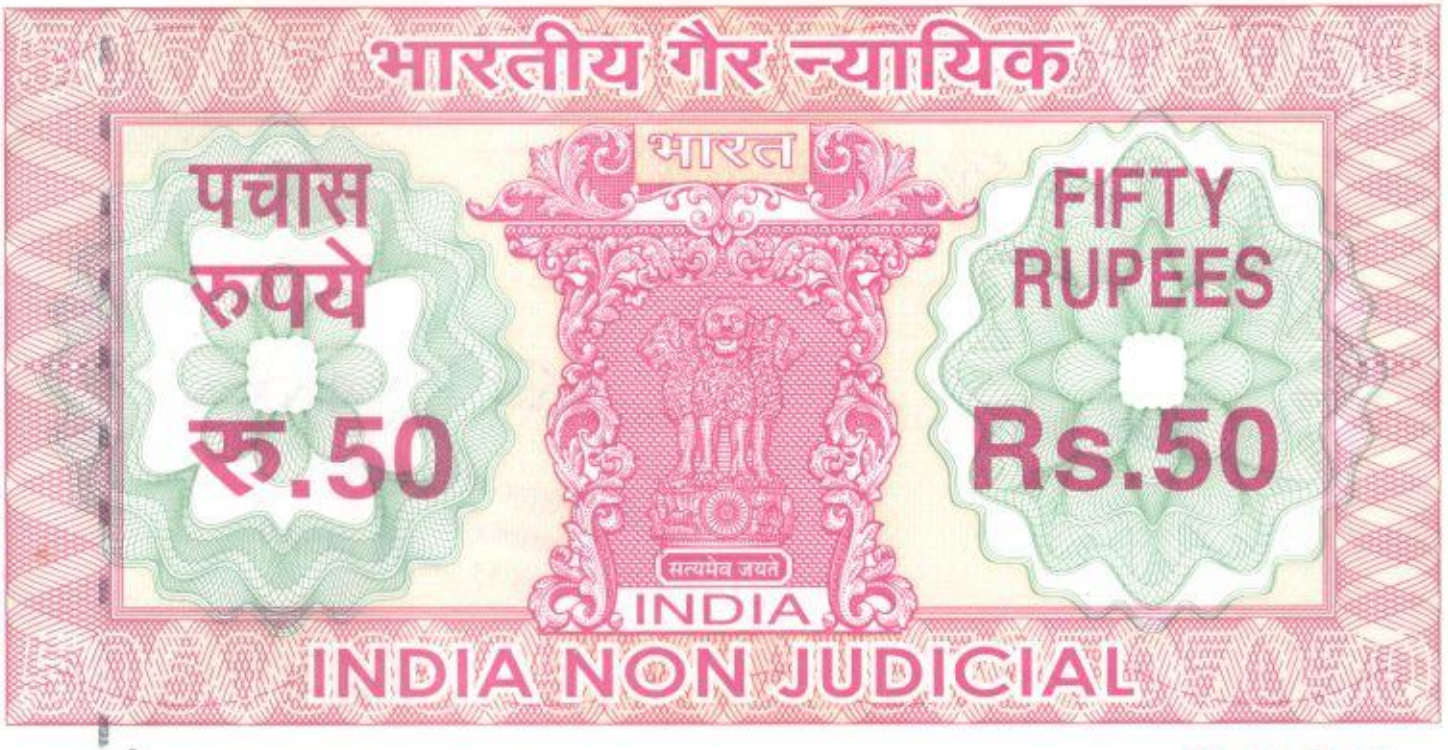
ब) बैठकों के विषयानुक्रमों को प्रबन्धक के परामर्श से निर्धारण करना।

स) न्यास प्रबन्धक के माध्यम से बैठकों को आहूत करना या आवश्यकतानुसार आहूत करना।

द) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नव–निर्वाचित सहित अन्य कार्य सम्पादित करना।

सचिव–प्रबन्धक –

अ) अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों को आहूत करना व उनका संचालन करना।



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219167

ब) न्यास के कर्मचारियों को अध्यक्ष से परामर्श कर नियुक्त करना, निलम्बित करना व उनसे अनुशासन स्थापित करना।

स) खर्चे आदि के वाउचरों को स्वीकृत कर भुगतान हेतु कोषाध्यक्ष को अग्रसारित करना व पावतियां देना।

द) अन्य वे सभी अधिकार व कर्तव्य जो न्यास हित में संचालन समिति उन्हें सौंपे।

कोषाध्यक्ष –

अ) न्यास की समस्त वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करना, सम्बन्धित लेखाओं को रखना व रखवाना।

ब) अप्रायोजित व अतिरिक्त न्यास धन को **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** की **धारा** – 20 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना।

Nimish Agarwal

Anjali Agarwal



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219168

स) न्यास के बैंक खातों को प्रावधानों के अनुसार संचालित करना।

द) वित्तीय लेखा–जोखा को वित्तीय वर्ष समापन के पश्चात् दो माह में पूर्ण कर या कराकर अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराकर संचालन समिति की जून माह की वार्षिक बैठक में अनुमोदित हेतु प्रस्तुत करना।

अंकेक्षण –

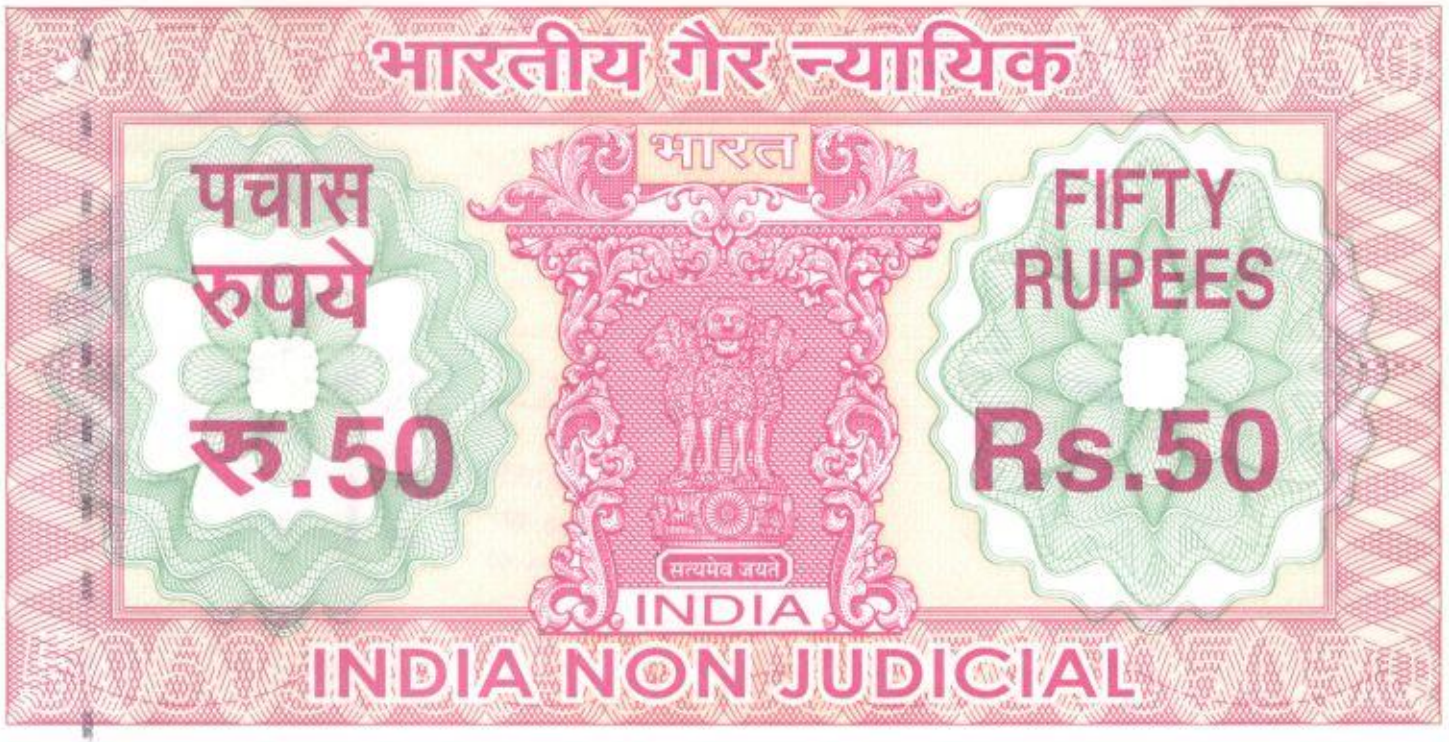
न्यास समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक न्यास के सभी लेखों–जोखों का वित्तीय वर्ष के उपरान्त कोषाध्यक्ष/ मंत्री द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण/ऑडिट करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट देना।

संस्थापक –

न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों को जो अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबंध में नहीं है उनका और उनके अलावा अन्य अधिकार व कर्तव्य **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** के अधीन निर्धारित होंगे।

Nirmal Kanoi

Anjali Agarwal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 219170

कानूनी प्रक्रियायें –

न्यास से सम्बन्धित सभी कानूनी विवाद न्यास के न्यासी दायर करेंगे। न्यास के न्यासी ही प्रमुख कर्यापालक होंगे व न्यास में सेवारात सभी कर्मचारी उसके अधीन होंगे।

संशोधन के अधिकार –

इस न्यास अनुबंध में लिखित मुद्दों पर **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** से सांमजस्य रखते हुए नये नियमों का सृजन, वर्तमान नियमों व प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास को होगा।

न्यास विघटन स्थिति में –

यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना संभव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल-अचल सम्पत्ति किसी सशरत लोकोपकारिक न्यास को भेंट कर दी जायेगी या उसके साथ न्यास का विलय कर दिया जायेगा। इसका निर्णय पूर्ण न्यास करेगा।



22 SEP 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 219171

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी **श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल** पुत्र **श्री जगदीश प्रसाद गर्ग** द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवाश में अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत के समय काम आवे। तहरीरी तारीख 31-10-2011 ई० दिनांक ..... व मशौदा श्री साहब सिंह वर्मा बैताल देवक व टंकणकर्ता विनोद कुमार ..... ने उपरोक्त न्यास विलेखमुख न्यासी श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ..... के कथनानुसार तहरीर व टंकण कराया गया व सभी तीनों ट्रस्टियों ..... द्वारा पंजीकृत कराया गया।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

Nirmal Kapil

गवाहान – अनिल कुमार एडवोकेट

Advocate

गवाहान

Anjali Agarwal